www.eicher.in

January 25, 2018

Online intimation/submission

To,
The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 505200

To,
The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No.C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai-400 051
Symbol: EICHERMOT

Dear Sir/Madam,

Ref: Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Subject: Newspaper Advertisement

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published today i.e. January 25, 2018, in Business Standard, English (All Editions) and Business Standard, Hindi (New Delhi Edition), in connection with transfer of shares of the Company on which period of seven consecutive years for dividend remaining unpaid or unclaimed is being completed, to the Investor Education and Protection Fund Authority, pursuant to the provisions of Section 124 & 125 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,
For Eicher Motors Limited

Manhar Kapoor
General Counsel & Company Secretary

Encl: a.a

EICHER

EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877
Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi110017
Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122 001, Haryana
Telephone: +91 124-4415600, **Fax No.** +91 124-4415807
Website: www.eichermotors.com,
Email: investors@eichermotors.com

NOTICE

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for last seven consecutive years or more are required to be transferred by Eicher Motors Limited ("the Company") in the name of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") established by the Central Government pursuant to the provisions of Section 125 of the Act. Ministry of Corporate Affairs vide its notification dated October 13, 2017, specified October 31, 2017 as the due date for transfer of shares to IEPF Authority in cases where the period of seven consecutive years or more for dividend remaining unpaid or unclaimed has been completed or being completed by October 31, 2017. Accordingly, the Company completed transfer of first tranche of eligible shares to IEPF Authority within the prescribed period.

The next due date for transfer of shares on which seven consecutive years of dividend remaining unpaid or unclaimed is being completed, in the name of the IEPF Authority is April 25, 2018. The shares shall be transferred within a period of thirty days from the due date.

In case of shares which are held in physical form, new share certificates shall be issued for the purpose of transfer to IEPF Authority and the original share certificate shall stand cancelled.

Individual communication in this regard is being sent to the concerned Shareholders. Detail of such shareholders along with their folio number/ DP ID-Client ID is available on the website of the Company at www.eichermotors.com under "Investors" section. In case any shareholder(s) wishes to stop transfer of his/her shares in the name of the IEPF Authority, such shareholder(s) is requested to claim his unpaid or unclaimed dividend from the Company on or before April 25, 2018. Manner in which a shareholder can claim unpaid/ unclaimed dividend is provided under the individual communication being sent to the shareholders which is also available on the Company's website.

In case no communication is received from the concerned shareholder(s) within the time period and in the manner provided under the individual communication, the Company shall cause to transfer the relevant shares in the name of the IEPF Authority pursuant to the provisions of the Act and the Rules.

Any person whose shares/ unpaid dividend is transferred to the IEPF Authority may claim the shares/ dividend from IEPF Authority, pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Act and the Rules made thereunder by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in with a copy to the Company. Shareholders are requested to go through the individual communication issued by the Company in this regard and also the provisions of Section 124 and 125 of the Act and the Rules.

The above information is also available on Company's website www.eichermotors.com and also on the website of stock exchanges i.e. NSE-www.nseindia.com and BSE- www.bseindia.com.

For **Eicher Motors Limited**
Sd/-
Manhar Kapoor
General Counsel & Company Secretary

Date : January 24, 2018
Place : Gurugram, Haryana

EICHER MOTORS LIMITED

सीआईएन : L34102DL1982PLC129877
पंजीकृत कार्यालय : तृतीय तल-सेलेक्ट सिटीवाक, ए-3 डिस्ट्रीक्ट सैन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017
कॉर्पोरेट कार्यालय : 96, इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर 32, गुरुग्राम - 122 001, हरियाणा
दूरभाष : +91-124-4415600, फैक्स नं. : +91-124-4415807
ई-मेल : investors@eichermotors.com वेबसाइट : www.eichermotors.com

सूचना

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा–परीक्षण, हस्तांतरण एवं प्रतिभुगतान) नियमावली, 2016, संशोधितानुसार ("नियमावली"), के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुपालन में, वे सभी अंश जिनके संदर्भ में विगत सात निरंतर वर्षों अथवा अधिक अवधि हेतु लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसका दावा नहीं किया गया है, उन्हें ऑयशर मोटर्स लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा अधिनियम की धारा 125 के प्रावधानों के अनुपालन में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के नाम में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांकित 13 अक्टूबर 2017 द्वारा, उन मामलों में जिनमें भुगतान नहीं किए गए अथवा भुगतान के लिए बिना दावे के शेष बचे लाभांश हेतु लगातार सात वर्षों अथवा अधिक की अवधि पूरी हो चुकी है या 31 अक्टूबर 2017 तक पूरी हो रही है, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंशों का हस्तांतरण करने के लिए 31 अक्टूबर 2017 नियत तिथि के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। तदनुसार कम्पनी निर्धारित अवधि के अंदर आईईपीएफ प्राधिकरण हेतु उपयुक्त अंशों के प्रथम भाग का हस्तांतरण पूर्ण कर चुकी है।

आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में ऐसे अंशों के हस्तांतरण की अगली नियत तिथि, जिन पर भुगतान नहीं किए गए अथवा भुगतान के लिए बिना दावे के शेष लाभांश के सात निरंतर वर्ष पूरे हो रहे हैं, 25 अप्रैल 2018 है। अंशों का हस्तांतरण नियत तिथि से तीस दिनों की एक अवधि के अंदर होगा।

ऐसे अंशों के मामले में, जो कि भौतिक रूप में मौजूद हैं, आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के उद्देश्य हेतु नवीन अंश प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे तथा मूल अंश प्रमाणपत्र निरस्त हो जाएंगे।

इस संबंध में संबंधित अंशधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रेषित की जा रही है। ऐसे अंशधारकों के विवरण उनकी फोलियो संख्या/डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी के साथ कंपनी की वेबसाइट www.eichermotors.com पर "इन्वेस्टर्स" सेक्शन के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। यदि कोई अंशधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में अपने अंशों का हस्तांतरण रोकना चाहता है, तो ऐसे अंशधारक से अनुरोध है कि वह कम्पनी से अपने भुगतान नहीं हुए अथवा भुगतान हेतु बिना दावे के बचे लाभांश हेतु अपना दावा 25 अप्रैल 2018 को अथवा इससे पूर्व करे। वह विधि जिसके अंतर्गत कोई अंशधारक भुगतान नहीं हुए/भुगतान हेतु बिना दावे के बचे लाभांश के लिए दावा कर सकता है, वह उस व्यक्तिगत रूप से प्रेषित सूचना के अन्तर्गत उपलब्ध है, जो अंशधारकों को प्रेषित की जा रही है, जो कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यदि समयावधि के अंदर तथा व्यक्तिगत पत्र–व्यवहार के अन्तर्गत उपलब्ध विधि के तहत संबंधित अंशधारकों से कोई पत्र–व्यवहार प्राप्त नहीं होता है, तो कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमावली के अनुपालन के अंतर्गत संबंधित अंशों का हस्तांतरण आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में कर देगी।

कोई भी व्यक्ति जिसके अंश/भुगतान नहीं हुए लाभांश आईईपीएफ प्राधिरण को हस्तांतरित किए गए हैं, वह वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध प्रारूप आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके, कम्पनी को इसकी प्रति प्रेषित करते हुए, अधिनियम की धारा 124 एवं 125 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण से अंशों/लाभांश का दावा कर सकता है। अंशधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कम्पनी द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत पत्र–व्यवहार तथा अधिनियम की धारा 124 एवं 125 के प्रावधानों तथा नियमावली का संदर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.eichermotors.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात् एनएसई–www.nseindia.com और बीएसई–www.bseindia.com पर भी उपलबध है।

कृते **ऑयशर मोटर्स लिमिटेड**

23 जनवरी, 2018
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा

हस्ता./–
मनहर कपूर
सामान्य परामर्शदाता एवं कम्पनी सचिव